"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2025—कार्तिक 30, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक File No. PLGMJ-2301/23/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 06-10-2025 से 08-10-2025 तक कुल 03 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक File No. PLGMJ-2301/4/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 22-09-2025 से 23-09-2025 तक कुल 02 दिन का (अवकाश पूर्व दिनांक 20-09-2025 से 21-09-2025 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित) पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. भूआर्य, उप-सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 सितम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/486/2025-IFS.—विभाग के आदेश क्रमांक/ESTB-102(1)/432/2025-IFS, दिनांक 14-09-2025 द्वारा श्री माथेश्वरन व्ही., भा.व.से. (2006) को मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर तथा अति. प्रभार प्रभारी सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर एवं सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर तथा श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007) मुख्य वन संरक्षक (पारिस्थितिकीय पर्यटन) तथा अति. प्रभार प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं योजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री माथेश्वरन व्ही., भा.व.से. (2006) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं योजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ करते हुए प्रभारी सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, नवा रापुर अटल नगर एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण, नव रायपुर अटल नगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य वन संरक्षक (पारिस्थितिकीय पर्यटन) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, विशेष सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षों हेतु स्थायी पंजीयन करता है :—

क्र.	जिला	शासकीय संस्था/ स्वैच्छिक संगठन का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	महासमुन्द	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण	मौहारीभाठा, वार्ड क्र. 23, बिजली कार्यालय के पास, जिला महासमुन्द (छ.ग.)	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण	10	06/MSMD/ 25-26
2.	बीजापुर	शासकीय बालगृह (बालिका)	गंगालूर रोड, अटल आवास कॉलोनी, जिला बीजापुर (छ.ग.)	बालगृह (बालिका)	50	06/BJPR/ 25-26
3.	बस्तर	शासकीय बालगृह (बालिका)	एम्स मेडिकल स्टोर के सामने एक्सिस बैंक के निकट, धरमपुरा न. 01, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)	बालगृह (बालिका)	50	11/BSTR/ 25-26

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों हेतु वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा.

5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50 पार्ट III.—राज्य शासन एतद्द्वारा संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 05 वर्षों हेतु स्थायी पंजीयन प्रदान करता है :—

जिला	शासकीय संस्था का नाम	बाल गृह का पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शासकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	डी.एफ.ओ. कार्यालय के सामने, सिविल लाईन एरिया, खैरागढ़ जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी	10	01/KCG/ 24-25

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से 05 वर्षों हेतु वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा.

5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50 पार्ट III.—राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन पर 31 मार्च 2026 तक स्थायी पंजीयन करता है :—

जिला	स्वैच्छिक संगठन का नाम एवं पता	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	बाल गृह का पता	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता	पंजीयन क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	उन्नायक सेवा समिति पता-960/22, केलो विहार कॉलोनी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	बालगृह (बालक) (नशापीड़ित/प्रभावित विशेष आवश्यकता के बालकों हेतु)	वृंदावन कॉलोनी, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)	50	15/RPR/ 25-26

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31 मार्च 2026 तक वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.

4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन करना अनिवार्य होगा.

5. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 सितम्बर 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202508042100024/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनांगर प.ह.नं. 10	0.430	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 19 सितम्बर 2025

प्र. क्रमांक 01/अ-82/2020-21/3312.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-सचराटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.001 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
717/1	0.093
717/2	0.012
717/3	0.024
720/3	0.024
777/1	0.040
719/1	0.053
720/4	0.069
526	0.028
720/5	0.049
720/1	0.073
719/2	0.028
327	0.008
423/1	0.040
337/2	0.012
785	0.129
326/1	0.020
777/2	0.089
782/1	0.028
781/1	0.032
781/2	0.032
764/2	0.069
764/1	0.024
765	0.101
491/13	0.040
759	0.057
766	0.032
492/1	0.049
448/1	0.020
512	0.040
492/2	0.049
448/2	0.020
447/1	0.020
424/2	0.020
500	0.016
399/1	0.024
399/4	0.024
330/3	0.040
399/5	0.008
330/2	0.012
399/6	0.049
399/2	0.012
330/1	0.012
502/4	0.012
398	0.057
502/8	0.040
502/6	0.045
511	0.101
513/1	0.113
524/2	0.073
528/1	0.020
528/2	0.020
532	0.045
533	0.061
338	0.028
337/1	0.012
332/3	0.012
332/2	0.024
328	0.012
329	0.020
326/3	0.008
194/3	0.016
326/4	0.045
207/2	0.020
319	0.150
317/2	0.057
289/5	0.020
317/3	0.016
297/2	0.016

(1)	(2)
289/9	0.024
290/2	0.117
289/8	0.024
289/1	0.081
289/1 क का टु.	0.085
289/1 क में से	0.085
275/1 में से	0.049
270/4	0.012
270/1	0.142
194/1	0.069
270/2	0.040
268/2	0.012
270/3	0.020
194/2	0.057
270/7	0.028
270/5	0.057
269	0.032
199/2	0.020
202	0.020
206	0.036
207/3	0.117
209	0.113
343/1	0.012
332/1	0.089
योग 92	4.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजाडीह जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2025

क्रमांक/96/भू.अ./वर्कलोड/अधिसूचना/2025.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959, क्रमांक 20, सन् 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2022) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं प्रतिष्ठा ममगाई (भा.प्र.से.) कलेक्टर, जिला-नारायणपुर (छ.ग.) एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (बंदोबस्त त्रुटि ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करती हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक कि ऐसी सक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे.

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	क्र.	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र/ग्राम	प.ह.न.	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नारायणपुर	छोटेडोंगर	धौड़ाई	1	ब्रेहबेड़ा	04	

प्रतिष्ठा ममगाई
कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कवर्धा, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

प्रारूप–7

प्रकरण क्रमांक/24/202510080200017/ब–121 वर्ष 2025–26.—छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा–67 की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता हूँ. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक ऐसी सक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाये.

जिले का नाम	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	राजस्व सर्वेक्षण प्रारंभ करने का क्षेत्र	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कबीरधाम	स. लोहारा	सिल्हाटी	13	रेन्दाखाम्ही	संपूर्ण ग्राम	

गोपाल वर्मा
कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व, एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 14 अगस्त 2025

प्ररूप–V
(नियम 10 देखें)

क्रमांक/2700/202403260500034/2025.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ माड़ीडांड़ ग्राम प्रतापपुर तहसील सूरजपुर जिला में कुल 0.24 हे. भूमि आपेक्षित है अर्थात्

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो 0.24 हे. है जो ग्राम माड़ीडांड़ तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर में है. धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि महान ऐनीकट योजना अन्तर्गत एनीकट निर्माण हेतु आवश्यक है. जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे. में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	479	भूमि स्वामी	एक फसली	0.24	बृजलाल पिता भंवरा जाति गोंड	खसरा क्र. 443, 444	खसरा क्र. 477	खसरा क्र. 446	खसरा क्र. 479, 480

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिंथ एरिया
निरंक	निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उप बंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गई है. भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है.

ग्राम माड़ीडांड़ तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर अन्तर्गत रकबा 0.24 हे. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पेड़ कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने नहीं है. खान एवं खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिये भूमि अर्जित किया जा रहा है कि परियोजना के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, अर्जन महान एनीकट योजना अन्तर्गत एनीकट निर्माण हेतु किया जा रहा है.

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) प्रतापपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

एस. जयवर्धन,
कलेक्टर.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 जनवरी 2025

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भू-अर्जन के संबंध में जारी अधिसूचना

क्रमांक LAND-44/1/2025-REVENUE/सात-1.—छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का पृष्ठांकन पत्र क्रमांक एफ 7-15/2007/12 (पार्ट), दिनांक 11-03-2022 द्वारा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03-02-2022 को राजपत्र में प्रकाशित.

विमल कुमार शांडिल्य
अवर सचिव

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 3 फरवरी, 2022

का.आ. .- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, उक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में अंतर्विष्ट ब्यौरे रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/535, तारीख 9 अक्तूबर, 2021 का निरीक्षण, कलक्टर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग),सीपत रोड, बिलासपुर - 495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति -

(i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा ; अथवा

(ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनयम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत् उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर - 495006 (छत्तीसगढ़) को भेज सकेगा ।

अनुसूची

दीपका विस्तार खुली खदान परियोजना
दीपका क्षेत्र,
जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/535, तारीख 9 अक्तूबर,2021)

(क) राजस्व भूमि :

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	राज्य	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	रैंकी	5507107	हरदीबाज़ार	कोरबा	छत्तीसगढ़	101.481	भाग
2	हरदीबाज़ार	5507109	हरदीबाज़ार	कोरबा	छत्तीसगढ़	215.843	भाग
3	सरईसिंगार	5507108	हरदीबाज़ार	कोरबा	छत्तीसगढ़	158.083	भाग
4	रलिया	5503250	कटघोरा	कोरबा	छत्तीसगढ़	123.310	भाग
5	कटकीडबरी	5503221	कटघोरा	कोरबा	छत्तीसगढ़	37.544	भाग
6	नबापारा	5503224	कटघोरा	कोरबा	छत्तीसगढ़	12.930	भाग
कुल क्षेत्र = 649.191 हेक्टेयर (लगभग) या 1604.15 एकड़ (लगभग)							

(ख) राजस्व वन भूमि :

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	राज्य	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	रैंकी	5507107	हरदीबाज़ार	हरदीबाज़ार	छत्तीसगढ़	238.745	भाग
2	हरदीबाज़ार	5507109	हरदीबाज़ार	हरदीबाज़ार	छत्तीसगढ़	23.031	भाग

3	सरईसिंगार	5507108	हरदीबाज़ार	हरदीबाज़ार	छत्तीसगढ़	35.289	भाग
4	रलिया	5503250	कटघोरा	कटघोरा	छत्तीसगढ़	29.485	भाग
5	कटकीडबरी	5503221	कटघोरा	कटघोरा	छत्तीसगढ़	0.000	भाग
6	नबापारा	5503224	कटघोरा	कटघोरा	छत्तीसगढ़	0.000	भाग
योग = 326.55 हेक्टेयर (लगभग) या 806.90 एकड़ (लगभग)							
कुल योग = (क +ख) = 975.741 हेक्टेयर (लगभग) या 2411.05 एकड़ (लगभग)							

सीमा वर्णन :

क - ख : रेखा ग्राम रेंकी के बिन्दु "क" से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम रेंकी के बिन्दु "ख" में जाकर मिलती है।

ख - ग : रेखा ग्राम रेंकी के बिन्दु "ख " से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम रेंकी और ग्राम हरदीबाज़ार की संयुक्त सीमा के बिन्दु "ग" में जाकर मिलती है।

ग - घ : रेखा ग्राम रेंकी और ग्राम हरदीबाज़ार की संयुक्त सीमा के बिन्दु "ग" ग्राम रेंकी और ग्राम हरदीबाज़ार की संयुक्त सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम हरदीबाज़ार और सरईसिंगार की संयुक्त सीमा के बिन्दु "घ" में जाकर मिलती है।

घ - ङ : रेखा ग्राम हरदीबाज़ार और सरईसिंगार की संयुक्त सीमा के बिन्दु "घ" से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम नवापारा के बिन्दु "ङ" में जाकर मिलती है।

ङ - च : रेखा ग्राम नवापारा के बिन्दु "ङ" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम सरईसिंगार के बिन्दु "च" मे जाकर मिलती है।

च - छ : रेखा ग्राम सरईसिंगार के बिन्दु "च" से प्रारंभ होकर पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम हरदीबाज़ार के बिन्दु "छ" में जाकर मिलती है।

छ - ज: रेखा ग्राम हरदीबाज़ार के बिन्दु "छ" से प्रारंभ होकर उत्तर--पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम हरदीबाज़ार और रेंकी की संयुक्त सीमा के बिन्दु "ज" में जाकर मिलती है।

ज - क : रेखा ग्राम ग्राम हरदीबाज़ार और रेंकी की संयुक्त सीमा के बिन्दु "ज" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुऐ ग्राम रेंकी के बिन्दु "क" में जाकर मिलती है।

[फा.सं. 43015/09/2021-एलए एण्ड आईआर]

(राम शिरोमणि सरोज)
उप सचिव , भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February,2022

S.O. .-Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And, whereas, the plan bearing number SECL/ BSP/GM(PLG)/LAND/ 535, dated the 9th October, 2021 containing details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Collector, District - Korba (Chhattisgarh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur -495006 (Chhattisgarh);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in the land described in the aforesaid Schedule;

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may-

(i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub section (3) of section 4 of the said Act, or

(ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the Officer-in-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur -495006 (Chhattisgarh) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Schedule

Dipka Expansion Opencast Project
Dipka Area,
District- Korba ,Chhattisgarh

[Plan bearing number SECL/BSP/GM (PLG)/LAND/ 535, dated the 9 th October, 2021]

(A) Revenue Land :

Serial number	Name of village	Village number	Tahsil	District	State	Area to be notified (in hectares)	Remarks
1	Renki	5507107	Hardibazar	Korba	Chhattisgarh	101.481	Part
2	Hardibazar	5507109	Hardibazar	Korba	Chhattisgarh	215.843	Part
3	Saraisingar	5507108	Hardibazar	Korba	Chhattisgarh	158.083	Part
4	Raliya	5503250	Katghora	Korba	Chhattisgarh	123.310	Part
5	Katkidabri	5503221	Katghora	Korba	Chhattisgarh	37.544	Part
6	Nawapara	5503224	Katghora	Korba	Chhattisgarh	12.930	Part
Total area = 649.191 hectares (approximately) or 1604.15 acres (approximately)							

(B) Revenue Forest Land:

Serial number	Name of village	Village number	Tahsil	District	State	Area to be notified (in hectares)	Remarks
1	Renki	5507107	Hardibazar	Korba	Chhattisgarh	238.745	Part
2	Hardibazar	5507109	Hardibazar	Korba	Chhattisgarh	23.031	Part
3	Saraisingar	5507108	Hardibazar	Korba	Chhattisgarh	35.289	Part
4	Raliya	5503250	Katghora	Korba	Chhattisgarh	29.485	Part
5	Katkidabri	5503221	Katghora	Korba	Chhattisgarh	0.000	Part
6	Nawapara	5503224	Katghora	Korba	Chhattisgarh	0.000	Part
Total area = 326.550 hectares (approximately) or 806.90 acres (approximately)							
Grand Total area = (A+B) = 975.741 hectares (approximately) or 2411.05 acres (approximately)							

Boundary description:-

A-B : Line start from point 'A', village – Renki and line advancing towards south direction and reached at point 'B' in village - Renki.

B-C : Line start from point 'B', village – Renki and line advancing towards east direction and reached a point 'C' in Village- Renki and Hardibazar common boundary.

C-D: Line start from point 'C', village –Renki and Hardibazar common boundary and line advancing towards east direction and reached at point 'D' in village Hardibazar and Saraisingar common boundary.

D-E: Line start point 'D', village -Hardibazar and Saraisingar common boundary and line advancing towards south east direction and reached at point 'E' in village- Nawapara.

E-F : Line start point 'E', village -Nawapara and line advancing towards north west direction and reached at point 'F' in village - Saraisingar.

F-G: Line start point 'F', village -Saraisingar and line advancing towards east west direction and reached at point 'G' in village - Hardibazar.

G-H: Line start point 'G', village -Hardibazar and line advancing towards north west direction and reached at point 'H' in village - Hardibazar and Renki common boundary .

H-A: Line start point 'H', village -Hardibazar and line advancing towards east west direction and reached at point 'A' in village - Renki.

[F.No. 43015/09/2021-LA&IR]

(Ram Shiromani Saroj)
Deputy Secretary to the Government of India

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th August 2025

No. 1024/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Jidicial Official (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Ku. Mrinalini Katulkar	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Raigarh at Kharsiya	Civil Judge Senior Division, Kharsiya

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Smt. Minakshee Nag	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Raigarh at Kharsiya	Additional Judge to the Court of Civil Judge Senior Division, Kharsiya

By Order of Hon'ble the High Court,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2025

क्रमांक/17124/चेकर/तीन-6-7/2000.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम क्रमांक 46), की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना 7605/चेकर/तीन-6-7/2000 दिनांक 10-05-2024 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर श्री सुरेश टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No. 17124/Checker/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 9 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) and in supersession of earlier Notification No. 7605/Checker/III-6-7/2000 dated 10-05-2024 the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur appoints Shri Suresh Toppo, Jidicial Magistrate First Class, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C.B.I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C.G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for equiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Headquarter of the Court shall be at Raipur.

By Order of the High Court,
MANSOOR AHMED, I/c Registrar General.